कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र),जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

Establishment Order No:- CCU-10/2026

(स्थापना आदेश संख्या:- सीसीयू-10/2026)

Dated:-As per E-signature

दिनांक :-ई-हस्ताक्षर के अनुसार

In terms of letter F.No. A.22015/23/211-Ad.IIIA dated 27.10.2011 of the Central Board of Excise & Customs (now Central Board of Indirect Taxes & Customs), New Delhi, Shri Anil Kumar, Inspector was allowed Inter Commissionerate Transfer from his parent Zone viz. CGST & Central Excise Vadodara Zone to CGST & Central Excise, Jaipur Zone, vide this office Establishment Order No. 102/2015 dated 10.09.2015. Consequent upon issuance of aforesaid order dated 10.09.2015, he joined Jaipur Zone on 09.10.2015.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अब केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. A.22015/23/211-Ad.IIIA दिनांक 27.10.2011, के संदर्भ में श्री अनिल कुमार, निरीक्षक को उनके मूल परिक्षेत्र अर्थात केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर क्षेत्र में अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण, इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 102/2015 दिनांक 10.09.2015 के माध्यम से अनुमन्य किया गया। उक्त आदेश दिनांक 10.09.2015 के निर्गमन के उपरांत, उन्होंने दिनांक 09.10.2015 को जयपुर क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण किया।

2. Shri Anil Kumar, Inspector vide his representations dated 20.07.2017 & 27.07.2023 requested for repatriation to his parent zone i.e. CGST Vadodara Zone. The aforesaid representations were sent to his parent Zone for necessary action, vide this office letters dated 23.08.2017 & 07.08.2023 respectively.

श्री अनिल कुमार, निरीक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 20.07.2017 एवं 27.07.2023 के माध्यम से अपने मूल क्षेत्र अर्थात केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय

उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र में प्रत्यावर्तन (Repatriation) हेतु अनुरोध किया। उक्त अभ्यावेदनों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उनके मूल क्षेत्र को इस कार्यालय के पत्र क्रमशः दिनांक 23.08.2017 एवं 07.08.2023 के माध्यम से प्रेषित किया गया।

3. Thereafter, he made further representation dated 01.10.2025 to the Chief Commissioner, CGST & Central Excise Vadodara to consider his representation dated 20.07.2017. Pending action on the same, he filed OA No. 4708/2025 before Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi. The Ld. Tribunal, at admission stage itself, vide Order dated 10.12.2025, directed to consider and decide the representation dated 01.10.2025 of the applicant expeditiously.

तत्पश्चात्, उन्होंने अपने पूर्व अभ्यावेदन दिनांक 20.07.2017 पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 01.10.2025 को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, उन्होंने माननीय Central Administrative Tribunal, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन संख्या 4708/2025 दायर किया। माननीय अधिकरण ने प्रवेश स्तर (Admission Stage) पर ही, अपने आदेश दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से आवेदक के अभ्यावेदन दिनांक 01.10.2025 पर शीघ्रतापूर्वक विचार कर निर्णय लेने का निर्देश प्रदान किया।

4. Now, the Cadre Controlling Authority, CGST & Central Excise, Vadodara Zone vide Order dated 23.02.2026 issued vide F.No. GCCO/CCA/Misc/82/2021-CCA-Part(1) dated 23.02.2026 has accepted the representation dated 01.10.2025 of Shri Anil Kumar, Inspector and granted NOC for his repatriation from CGST & Central Excise, Jaipur Zone to his parent Zone i.e. CGST & Central Excise, Vadodara Zone.

अब, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी (Cadre Controlling Authority) ने आदेश दिनांक 23.02.2026, जो कि पत्र क्रमांक F.No. GCCO/CCA/Misc/82/2021-CCA-Part(1) दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से निर्गत किया गया, द्वारा श्री अनिल कुमार, निरीक्षक के अभ्यावेदन दिनांक 01.10.2025 को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर क्षेत्र से उनके मूल परिक्षेत्र अर्थात केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र में प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदान किया है।

5. Consequent upon issuance of NOC for repatriation from CGST & Central Excise, Jaipur Zone to parent Zone i.e. CGST & Central Excise, Vadodara Zone in respect of Shri Anil Kumar, Inspector, he is hereby repatriated from CGST & Central Excise, Jaipur Zone to his parent zone i.e. CGST & Central Excise, Vadodara Zone, Vadodara.

श्री अनिल कुमार, निरीक्षक को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर क्षेत्र से उनके मूल क्षेत्र अर्थात केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र में प्रत्यावर्तन हेतु, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत किये जाने के फलस्वरूप, उन्हें एतद् द्वारा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर क्षेत्र से उनके मूल क्षेत्र अर्थात केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र, वडोदरा में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Ashutosh
Date: 13-03-2026
13:34:42

(Ashutosh/आशुतोष)

Commissioner (in-situ)/ आयुक्त (in-situ)

F No.:- II/(39)/OTH/621/2023-ESTT Date:-As per E-sign

फा.सं.- II/(39)/OTH/621/2023-ESTT दिनांक:-ई-हस्ताक्षर के अनुसार

<u>Copy for information and necessary action to:-</u>

<u>सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित</u>:-

1. Officers Concerned.
2. The Pr. Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Vadodara Zone, Vadodara with reference to his office Order dated 23.02.2026 issued vide F.No. GCCO/CCA/Misc/82/2021-CCA-Part(1).
3. The Pr. Commissioner, CGST Jaipur with reference to his office letters F.No. ET-I/RQST/GR-B/5/2021-ADMN dated 24.12.2025 & 16.01.2026, with a request to relieve Shri Anil Kumar, Inspector by afternoon of 13.03.2026 with directions to report to the CGST & Central Excise, Vadodara Zone, Vadodara.
4. The PAO, CGST & Customs, Jaipur.
5. The CAO /AO (DDO), CGST Jaipur.

6. Service Book / Guard file / Notice Board.
7. Webmaster for uploading a copy of the order on Zonal Website.